न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/14/2010	08–04–2010	03–07–2019

01– दिनेश वर्मा पुत्र मोहनलाल वर्मा निवासी भरतपुर हाल निवासी ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जरिये सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर दिनांक 16.09.2000 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः–

01– श्री रामबहादुर सिंह –वकील अपीलाण्ट
02– चौ0 रहमत खां –वकील रैस्पोडेंट

निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर के आदेश दिनांक 16.09.2000 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम अमरा का बास की वन क्षेत्र भूमि आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा व ग्राम रूंध काली घाटी की वन क्षेत्र भूमि 05 बीघा पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 09.02.2010 से रिमाड होकर प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 17.07.2001 को यथावत रखा गया है। जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा रिमांड कर वन विभाग के परिपत्र दिनांक 18.07.1991 व राजस्थान सरकार ग्रुप–1, उप शासन सचिव के पत्र दिनांक 20.11.1987 को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील रैस्पो0 द्वारा एक प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 व संवत् 2060 मिसल हकीयत संवत् 2028 खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा सूची वन बन्दोबस्त अधिकारी भरतपुर बाबत वनखण्ड अमरा का बास सरिस्का दिनांक 22.12.1955 व गजट नोटिफीकेशन दिनांक 30.05.1966 पेश की। जिसकी प्रति वकील वन विभाग को दी गई। प्रा0पत्र आदेश 41 नियम 27 पर वकील रैस्पो0 द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। प्रा0पत्र प्रथमदृष्टया (Prima Facie) न्यायहित में उचित प्रतीत होने से प्रा0पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। वकील रैस्पो0 द्वारा अपील में बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट की आराजी संवत् 2028 से पहले खसरा नं. 95 रकबा 17 बीघा 03 था। जिसका नया नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा बना। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा शिवचरण पुत्र कन्हैया को नियमन की गई। जिससे वह उक्त आराजी का गैर खातेदार हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके विधिवत् प्रक्रियानुसार विधिक वारिसान् खातेदारी हेतु अपीलांट पूर्व में इकरारनामे द्वारा व दिनांक 16.11.2002 को जरिये बयनामा द्वारा खरीद कर लिया गया तथा उसका इंतकाल भी दर्ज है। अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। शिवचरण कभी भी खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा जमीन पर काबिज नहीं रहा। वह हमेशा खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा में से 05 बीघा पर ही काबिज रहा है। नियमन के समय उसे खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा में से 05 बीघा पर दिया गया। क्योंकि खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा घने जंगल में थी जो सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित है। इसलिए अपीलांट दिनेश कुमार वर्मा भी पूर्व के खातेदारों के अनुसार खसरा नम्बर 108 रकबा 05 बीघा पर पक्की बाउण्डरी करके उसपर बडे वृक्ष लगाकर काबिज चला आ रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.05.1966 को गजट नोटिफीकेशन जारी किया गया। उसमें वनखण्ड अमरा का बास में जो खसरा नम्बर वन क्षेत्र में लिये गये थे उनमें खसरा नम्बर 115 का पुराना नम्बर 95 रकबा 17 बीघा –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

03 बिस्वा नहीं था ना ही साबिक खसरा नम्बर 104 जिसके हाल खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा था। जिसके सवत् 2028 के बाद हाल खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा व 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा बने है। इस प्रकार गजट नोटिफीकेशन व मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया (Prima Facie) स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 115 व 108 दोनो नम्बर ही राजस्थान सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफीकेशन वाके वनखण्ड अमरा का बास में नहीं है। इसी कारण दोनो नम्बरों में राजस्व विभाग द्वारा नियमन/आवंटन विधि अनुसार किये गये थे। जब गत खसरा नम्बर 95 व हाल खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी वनखण्ड अमरा का बास में नहीं है तो इन नम्बरों पर सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर किस प्रकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने के आदेश कैसे दे सकता है। सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध है। सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर केवल वन क्षेत्र से संबंधित खसरा नम्बर पर ही कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार ही निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित किया है। अतः सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर का आदेश दिनांक 16.09.2000 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने बहस के दौरान बताया कि विवादित भूमि वन विभाग की है। जो खण्ड अमरा का बास सरिस्का में आती है। वन नाका प्रभारी हनुमत प्रकाश शर्मा द्वारा पटवारी हल्का से रिकॉर्ड प्रति लेकर सुरक्षित वनखण्ड अमरा का बास में खसरा नम्बर 108 में 08 बीघा आराजी अतिक्रमी दिनेश वर्मा की है। 04 बीघा आराजी पर पक्की दिवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण क्षेत्र आज दिन भी वनखण्ड अमरा का बास काली घाटी का हिस्सा है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा व 108 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम अमरा का बास जिसके साबिक खसरा नं. 95 व 104 थे। जो गजट नोटिफीकेशन राज्य सरकार दिनांक 30.05.1966 में दर्ज नहीं है। वन विभाग की ओर से पत्रावली पर इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं है। जिससे प्रथमदृष्टया (Prima Facie) स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 95 व 104 वनक्षेत्र अमरा का बास का भाग है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि दोनो नम्बरों में से ही राज्य सरकार ने अन्य व्यक्तिओं को भूमि आवंटित की गई है। जिसके तहत ही अपीलांट आवंटित व्यक्तिओं से उक्त आराजी जरिये बयनामा खरीद की गई। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि वन विभाग को आराजी खसरा नम्बर साबिक 95 हाल 115 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा में से 05 बीघा आराजी पर से अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस देने का क्षेत्राधिकार सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर को नहीं था। क्योंकि संबंधित आराजी वन आरक्षित क्षेत्र अमरा का बास राज्य सरकार के नोटिफीकेशन दिनांक 30.05.1966 में दर्ज नहीं है। इसलिए खसरा नम्बर 95 आरक्षित वन क्षेत्र का भाग होना प्रथमदृष्टया (Prima Facie) स्पष्ट नहीं है, अपील अपीलांट न्यायहित में उचित प्रतीत होने से आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, उभय–पक्ष के कथन, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर अपील प्रथमदृष्टया (Prima Facie) न्यायहित में उचित प्रतीत होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.02.2010 के परिपेक्ष्य में उभय–पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.1991 व राज्य सरकार ग्रुप–1, उप शासन सचिव के पत्र दिनांक 20.11.1987 में प्रदत्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायिक दृष्टि से पुनः युक्तियुक्त विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें। निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/07/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)